प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,
सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ
हिन्द मेडिकल कालेज, सीतापुर
रामा मेडिकल कालेज, हापुड़
रामा मेडिकल कालेज, कानपुर
राजश्री मेडिकल कालेज, बरेली
मेयो मेडिकल कालेज, बरेली
हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वाराणसी

संख्याः–एम0ई0–3/2020/902

लखनऊ:दिनांक 01 06.2020

विषयः–यू0पी0 नीट पी0जी0–2020 के अन्तर्गत शुल्क निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 9.3.2019 एवं 17.3.2020 को चुनौती दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि आपकी संस्था द्वारा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 9.3.2019 एवं 17.3.2020 को चुनौती देते हुए मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेन्च एवं मा0 फीस नियमन समिति, बॉसमण्डी, चारबाग, लखनऊ के समक्ष रिट याचिकाएं/अपील दायर की गयी है, जो मा0 न्यायालय के विचाराधीन है। दायर याचिकाओं/अपील में किसी प्रकार के आदेश/निर्णय पारित नही किये गये है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि यू0पी0 नीट पी0जी0 2020 से आवंटित/प्रवेशित अभ्यर्थियो से शासनादेश दिनांक 9.3.2019 एवं 17.3.2020 के द्वारा निर्धारित शिक्षण, हास्टल, सिक्योरिटी एवं विविध मद मे ही शुल्क ही लिया जायेगा एवं किसी भी छात्र/छात्राओं से दायर याचिका/अपील के सापेक्ष किसी भी प्रकार का कोई बाण्ड अथवा असंवैधानिक रूप से कोई गैर कानूनी कार्यवाही नही की जायेगी।

कृपया उक्त आदेशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(के0के0गुप्ता)
महानिदेशक।

संख्याः–एम0ई0–3/2020/